थाना प्रभारी, हनवारा का प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसके तहत् प्रतिवेदित है कि द्वितीय पक्ष के सात व्यक्तियों द्वारा वर्त्तमान में बालू उठाव का कार्य किया जा रहा है, जिससे विधि-व्यवस्था की समस्या बनी है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अब तक कारणपृच्छा नहीं दिया गया है एवं नियमित रुप से न्यायालय में उपस्थित नही होते है। फलतः शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु द्वितीय पक्ष के सभी व्यक्तियों को बंद-पत्र दाखिल करने का आदेश दिया जाता है।

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
महागामा।

1. पूजा यादव पे० मुरारी यादव
सा० - संग्रामपुर थाना - हनवारा